Dr. Sushila Nayar: May I submit in all humility that the Planning Commission has agreed to give us funds for water supply and drainage schemes in the Fourth Plan which are far more than what they have ever given before? The funds are of the order of Rs. 370 crores, whereas the requirements are to the tune of over Rs. 1600 crores. May I add that one of the things that the States are very keen on, is that some subsidy be given for drainage schemes just as we are giving for rural water supply schemes, and that proposal is under the consideration of the Planning Commission?

श्री यशपाल सिंह: क्या मंत्री महोदय को पता है कि पुरानी दिल्ली में अभी तक भी ऐसी बस्तियां हैं जहां आठ-आठ घंटे पानी बन्द रहता है और एक-एकलैट्रिन में डेढ़-डेढ़ सौ आदमियों को जाना पड़ता है और न वहां फ्लश सिस्टम है और न टैप सिस्टम है और न पानी की सप्लाई है? आज नहीं तो कल वहां फाइलेरिया का अटैक हो कर रहगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए मंत्री महोदया क्या कर रही हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपकी पेशी लगाई है, क्या करें।

श्री यशपाल सिंह: बार-बार ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र आ रहा है। पुरानी दिल्ली भारत का कैपिटल है और दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इस वास्ते ....

अध्यक्ष महोदय: फाइलेरिया से बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं?

डा० सुशीला नायर: वाटर सप्लाई और टट्टियों का फाइलेरिया कंट्रोल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

Harijans in Rural Areas

\+
*393 **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have received recently any reports of atrocities committed on Harijan in the rural areas;

(b) if so, the details of these incidents; and

(c) the steps contemplated to curb these reactionary tendencies?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar) (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

श्री मधु लिमये: क्या मंत्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में एक हरिजन ने कोई जुर्म किया और उसका बदला लेने के लिये उस देहात की तमाम हरिजन या नववृद्ध महिलायों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी ओर गया है, क्या उसकी इत्तिला मंत्री महोदय को मिली है? अगर मिली है, तो उसके बारे में मंत्री महोदय ने क्या कार्रवाही की है। यह औरंगाबाद जिले का वाका है।

Shrimati Chandrasekhar: As far as I am concerned, I have no information to this effect. Since I have come to know this from the hon. Member I shall make inquiries and do the needful.

Shri Shivaji Rao Deshmukh: The culprits have been convicted and sentenced by the law courts.

An hon. Member: The hon. Minister does not know it.

श्री मधु लिमये: आप मंत्री तो नहो हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख: मंत्री की ओर से नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय को मैं यह जानकारी दे रहा हूं।

श्री मधु लिमये: पूरी जानकारी दें मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: एक इंडिविजुअल केस चाहे हरिजन का हो या दूसरे का हो इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिये, यह मुनासिब नहीं है। कहीं दुश्मनी की वजह से एक जगह एक वाका हुआ हो उसका रिएक्शन दूसरे

आदमियों की ज्यादती के रूप में प्रकट किया हुआ हो उस बात को यहां लाना और सिर्फ इसलिए कि वह हरिजन था क्या मुनासिब है? यह जरूरी नहीं है उसकी वही नतीजा निकलता हो जो आप समझते हैं। इस तरह की बातों को यहां लाना क्या मुनासिब है?

श्री हरि विष्णु कामत: प्रश्न हरिजनों के ऊपर है।

श्री मधु लिमये: आप सब लोग जानते हैं कि अस्पृश्यता के कारण इस देश में जितने हरिजन लोग हैं उनके ऊपर तरह-तरह के जुल्म होते रहते हैं। इसीलिये यह सवाल मैंने पूछा है। और फिर सरकार की नीति भी है कि उनको संरक्षण प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरा सवाल करें।

श्री मधु लिमये: श्री शिवाजी राव कुछ कहना चाहते है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरा सवाल करें उनका कोई मतलब नहीं है।

श्री मधु लिमये: कुछ दिन पहले मैंने शायद मजदूर मंत्री से पूछा था कि क्या उनका ध्यान मुंघेर क्षेत्र में घटी एक घटना की ओर गया है जिस में एक हरिजन का मकान जलाया गया था? उसके बाद मुझे पता चला कि बेगुसराय के इलाके में मंझोल क्षेत्र मे इसी तरह की एक घटना हुई है। आखिरकार सरकार की अगर यह नीति है कि अस्पृश्यता को खत्म करे और हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम हो तो इन घटनाओं के पीछे क्या तथ्य है, रहस्य क्या है, उसको इसकी जांच करनी चाहिये और कोई ऐसा ठोस कार्रवाई करनी चाहिये जिससे हरिजनों और पिछडों के बारे में इस तरह के अत्याचार न होने पायें।

Shrimati Chandrasekhar; Whenever certain instances are brought to our notice or they come to our notice, we do take action; we make inquiries from the State Governments and the local authorities in the places where these incidents take place. I do know that there are certain incidents taking place on account of untouchability. But as I have informed the House time and again, we have the Act which was passed in 1955, to prevent the practice of untouchability. But we have not stopped with that; we have appointed a committee under the chairmanship of Shri Elayaperumal and that committee is going round all the States, and it is expected to submit an interim report some time towards the end of next month; that report will reveal certain practices that are still being followed and would suggest what steps we should take; after considering that report, we shall take further steps.

श्री मधु लिमये: मैंने पूछा था कि क्या जांच की थी? उस दिन मजदूर मंत्री ने कहा था कि हम जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपका सारा सवाल हो सजेशन था कि गवर्मेंट को यह करना चाहिये।

Shri Muthiah: Is it a fact that Harijans are still not being allowed access to public wells and public bathing places in certain rivers in rural areas even now?

Shrimati Chandrasekhar: I do not think Harijans can be prevented from using any public wells. If such cases occur, action is taken by the local authorities and the State Government concerned.

श्री विश्राम प्रसाद: क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास कर आजमगढ़ जिले में, दो आने पैसे आज भी मजदूरी दी जाती है और ढ़ाई पाव अनाज दिया जाता है और बात-बात पर वहां के हरिजनों को पीटा जाता है? साथ ही कुंए पर उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है, चारपाई पर वे साथ नहीं बैठ

सकते हैं और आज भी वे तरह तरह से सताये जाते हैं, क्या सरकार को इसका पता है ? अगर पता है तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

Shrimati Chandrasekhar: The answer I have already given would cover this question also.

Mr. Speaker: If Members begin to piont out individual cases in their constituencies, districts or States, it would not be possible for any Minister to answer.

श्री मधु लिमये : अस्पृश्यता को ये कैसे खत्म करेंगे ? आप निर्देश दें कि सारी जानकारी इकट्ठा करके ये रख दें ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो रिपोर्ट जब आएगी उस वक्त कर सकते हैं ।

Shri M. R. Krishna: To solve the Harijan problem, many committees have been constituted and a lot of money wasted. The committee now suggested by the Minister is not the committee which is going to solve all the problems of the Harijans. I would like to ask a specific question. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who is supposed to report all these grievances to Parliament has not been functioning for the last four or six months. I do not know whether any new Commissioner is going to be appointed. Secondly, I would like to know whether since panchayat raj has come into existence, the harrassment of Harijans has not increased and their economic progress not hampered.

Shrimati Chandrasekhar: The hon. Member's question contains so many parts. One is about the committee regarding untouchability clearing all the blots of untouchability. I do not think any committee can remove all the defects existing with regard to this question. But certain constructive suggestions will be made by them which we will follow.

The other one was about the Commissioner. He has been on leave and during the leave period, another Commissioner cannot be appointed. We are making arrangements for a new Commissioner to take office.

The third was about the Report of the Commissioner. It is being discussed. annually; the last report, that is for 1963-64 is pending and as soon as the House will find time for it, it will be discussed.

श्री बूटा सिंह : पिछले तीन बरस से नहीं डिसकस हुई है ।

श्री गुलशन : क्या सरकार के ध्यान में पंजाब और उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो खेत मजदूर हरिजन हैं उनकी ओर गया है और क्या उसको यह पता चला है कि वहां की पुलिस और भूमि के मालिकों ने उन लोगों को भूमि से रिक्त करने के लिए तरह तरह के अत्याचार किये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके बारे में क्या कार्रवाई की है ?

Shrimati Chandrasekhar: Sir, you have rightly pointed out the difficulty in regard to giving replies to questions concerning particular incidents occurring in certain States. If any particular incident is brought to our norice, we will certainly look into it. But I do not think it will be possible for me to have record of all the incidents that take place in the country and give answers.

श्री गुलशन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने कोई व्यक्तिगत बात नहीं पूछी है । मैंने पूछा है कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पंजाब में पुलिस और ज़मीन मालिक हरिजनों पर अत्याचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दो स्टेट्स के बारे में पूछा है । वह इन मिसालों को लिख कर मिनिस्टर साहब को दे दें जो कि इन की तहकीकात करेंगे ।

श्री गुलशन : मैंने इस के बारे में एक दो दफा नहीं बल्कि दस दफा लिखकर दिया है। मैं ने प्राइम मिनिस्टर को लिखकर दिया है लेकिन कार्यवाही नहीं की गई है।

Mr. Speaker : Has the Minister received such an intimation, and has any enquiry been made into these allegations?

Shrimati Chandrasekhar : At present I have no information.

Shri Basumatari : Just now an hon. Member asked a question why the appointment of the Commissioner has not been made. It has also been mentioned by some Members that this report has not been discussed here for four years. May I know whether it is a fact that whenever a meeting takes place, the Minister concerned some times does not attend which shows the negligence of the department to the uplift of the tribals?

Mr. Speaker : About another Minister what shall she answer? The first part only.

Shrimati Chandrasekhar : The Commissioner will be appointed shortly. About the reports being discussed, it is the last report, the 1963-64 report, that is pending; it has already been placed on the Table of the House. About the Minister not attending, I do not think any meeting has not been attended by the Minister.

श्री गणपति राम : क्या सरकार को मालूम है कि हालांकि आज से आठ बरस पहले उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश के सम्बन्ध में करीब तीन सौ व्यक्ति जेल में गए थे, लेकिन इस के बावजूद आज भी कोई व्यक्ति अपने आप को हरिजन बता कर काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता है ?

श्री रघुनाथ सिंह : यह बात गलत है। I contradict it. That belongs to my constituency. That is wrong. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक झगड़े वाला सवाल किया है। अब वह बैठ जायें ताकि मिनिस्टर साहब जवाब दें।

श्री गणपति राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सवाल पूछा है लेकिन अगर लोग बीच में कूद पड़ें तो मैं क्या करूं ?

Shrimati Chandrasekhar : If I understood it, it is about 8 years back.

Mr. Speaker : Up till now Harijans are not allowed.

Shrimati Chandrasekhar : I do not think it is a fact.

श्री शिव नारायण : मैं माननीय सदस्य श्री गणपति राम और इस हाउस की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में मन्दिर कमेटी का मेम्बर रहा हूं कि मैं हरिद्वार और काशी इत्यादि हर जगह गया हूं और मैं काशी विश्वनाथ मन्दिर में भी गया हूं लेकिन किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या माननीय सदस्य हरिजन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने कोई सवाल पूछना है ?

श्री शिव नारायण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार हरिजनों के नाम पर जितना रुपया एलाट करती है, उस का कितना हिस्सा हमारे बेनिफिट पर खर्च होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय सदस्य के सवाल को समझा नहीं हूं। अगर मिनिस्टर साहब समझ गई हैं, तो वह जवाब दे दें।

Has she understood it?

Shrimati Chandrasekhar: No, Sir.

Mr. Speaker: Would he reapeat his question?

Shri Sheo Narain: I want to know from the Government what portion of the money which is allotted for Harijan development goes to the Harijan people.

Shrimati Chandrasekhar: The backward classes sector has programmes for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Even in that backward classes sector, we have separate programmes, and whatever money is allotted for the Scheduled Castes goes to the Scheduled Castes only.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अस्पृश्यता निवारण कानून, 1955 में बना था और आज 1966 चल रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानून को भंग करने के अपराध में कितने लोगों पर जुर्माना किया गया है और कितने लोगों को कैद की सजा दी गई है ?

Shrimati Chandrasekhar: I would like to have notice for this question.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अगर मंत्री महोदय यहां पर सूचना ले कर नहीं आते हैं, तो क्या वह फ़ोटो खिचवाने के लिए आते हैं ? इस सवाल की सूचना बीस दिन पहले दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : सूचना उस सवाल की तो नहीं दी गई थी, जो कि माननीय सदस्य अब पूछ रहे हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आखिर सवाल पर सप्लीमैंटरीज़ तो करने होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बात कहना नामुनासिब है ।

छिपाये हुए धन का स्वेच्छापूर्वक प्रकट किया जाना

+

*394. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० बरुआ :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाये हुए धन को स्वेच्छापूर्वक प्रकट किये जाने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस धन को बाहर निकालने के लिये कोई अन्य कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) 1-4-1966 से लेकर 30-6-66 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (4 क) के अंतर्गत 301 व्यक्तियों ने 2.64 करोड़ रुपये की छिपी आय प्रकट की है ।

(ख) अन्य कार्यवाही यह की गयी है :

(i) कर की चोरी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर्या पक्ष की स्थापना और अभियोजन की कार्यवाही करने के लिए कर की चोरी करने वालों के मामलों की छानबीन ।

(ii) कर की बड़े पैमाने पर चोरी के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय आयुक्तों के कार्य-क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति ।

(iii) तलाशी और जब्ती के अधिकारों का प्रयोग ।